न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 37 / 2021

अनवान

1. अमित कुमार पुत्र राधेश्याम तोषनीवाल, जाति महाजन निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाडा(राज.)
2. आशीष कुमार पुत्र राधेश्याम तोषनीवाल, जाति महाजन निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाडा(राज.)
3. दर्शिता पत्नी अमित कुमार जाति तोषनीवाल, जाति महाजन निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पिता चुन्नीलाल सोनी(सुनार) निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. भंवर लाल पिता रामचन्द्र सोनी(सुनार) निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. नानी देवी शर्मा पत्नी स्व. श्री भगवतीलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. नानालाल पिता सोहन लाल जाति ब्राम्हण निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 21—09—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 05.07.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 888 की आराजी संख्या 1336 रकबा 0.5564 है0, आराजी नम्बर 1337 रकबा 0.191 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6955 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 04 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र [illegible] में उसके खाते की खाता संख्या 888 की आराजी संख्या 1336 रकबा 0.5564 है0 [illegible] 1337 रकबा 0.1391 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6955 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी [illegible] राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार [illegible] शुल्क 300 / —पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500 / [illegible] को नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 21 / 09 / 2021 को खुले न्यायालय में सुना[illegible] जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:34 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)